इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 15, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्र. 24864-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 25 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१२

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्र. ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (३) में, उप-खण्ड (ख) में, शब्द "एक हजार छह सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

धारा ९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ९ में,—

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापन के रजिस्टर में किसी कैलेण्डर वर्ष में (अर्थात् जनवरी से दिसम्बर तक) तीस कार्य दिवसों को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छह मास में (अर्थात् ३० जून तथा ३१ दिसम्बर को) देय अभिदाय की रकम केवल दस रुपये होगी और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिए नियोजक द्वारा प्रत्येक छह मास में देय अभिदाय की रकम तीस रुपये होगी :

परन्तु प्रत्येक छह मास में नियोजक के अभिदाय की रकम एक हजार पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी.";

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु १५ जुलाई और १५ जनवरी को समाप्त होने वाले छह मास के पूर्व मण्डल को दो या अधिक कालावधि के अभिदाय का अग्रिम भुगतान करने पर, नियोजक को पांच प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा उक्त छह मास की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् भुगतान करने पर उतने प्रतिशत जुर्माना, जो कि दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित किया जाए.".

धारा ३१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३१ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" स्थापित किए जाएं;

(ग) परन्तुक में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपये" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "बीस हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्र. ३६ सन् १९८३) के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां अनुभव की गई हैं. इन कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से कतिपय संशोधन प्रस्तावित हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

(१) मूल अधिनियम की धारा २ (३) (ख) में "कर्मचारी" की विद्यमान परिभाषा को औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की धारा २ (३) (चार) के उपबंध के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है जिससे कि कर्मचारियों को उपबंध का लाभ मिल सके.

(२) मूल अधिनियम की धारा ९ में, अभिदाय की दरें बढ़ाई गई हैं तथा किसी स्थापन के नियोजक को, यदि वह नियत तारीखों के पूर्व अभिदाय जमा करने में असफल रहता है तो जुर्माने की अतिरिक्त रकम जमा करना होगी और यदि नियत तारीखों के पूर्व अभिदाय जमा कर देता है तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

(३) मूल अधिनियम की धारा ३१ में, जुर्माने की रकम में वृद्धि की जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ११ नवम्बर, २०१२.

जगन्नाथ सिंह
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ एवं ३ में निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन पर नियोजक के अभिदाय के बराबर की रकम, मंडल को संदाय करने की स्थिति में शासन पर लगभग ३ करोड़ का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३ द्वारा राज्य शासन को जुर्माना अधिरोपित करने हेतु अधिसूचना जारी करने की शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा रहा है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 501] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 7539-358-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 25 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 25 of 2012.

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (3), in sub-clause (b), for the words "one thousand and six hundred rupees" , the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendement of Section 9.

3. In Section 9 of the principal Act,—

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) If the name of the employee stands on the register of an establishment on thirty working days in a calendar year (that is January to December), the amount of contribution payable every six months, (that is on 30th June and on 31st December) by every employee shall be ten rupees only and by an employer for each such employee shall be thirty rupees payable every six months :

Provided that the employer's contribution payable every six months shall not be less than one thousand five hundred rupees.";

(ii) in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that an incentive amount of five percent shall be given to employer on advance payment of two or more period of contribution before six months ending of 15th day of July and 15th day of January to the Board and such percentage of fine shall be imposed as determined by the State Government, by notification, which shall not exceed ten percent, on payment after ending of said six month period.".

Amendement of Section 31.

4. In section 31 of the principal Act,—

(i) in sub-Section (1),—

(a) in clause (a), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words "one thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted;

(c) in the proviso, for the words "one hundred rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "two thousand rupees", the words "twenty thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Certain practical difficulties have been experienced in the implementation of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam,1982 (No. 36 of 1983). In order to obviate these difficulties certain amendments are proposed which are as under :—

(1) The existing definition of "employee has been revised in Section 2 (3)(b) of the principal Act as per the provision in Section 2 (3)(iv) of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) so that employees would get the benefit of the provision.

(2) In Section 9 of the principal Act, rates of contribution have been enhanced, and the employer of an establishment shall deposit an additional fine amount if he fails to deposit the contribution before the fixed dates and rebate shall be given if amount deposited before fixed dates.

(3) In Section 31 of the principal Act, the amount of fine have been proposed to be enhanced.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 11th November, 2012.

JAGANNATH SINGH
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.